

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 975 /2019 दिनांक : 1.5.2019


श्री संजय कुमार त्रिपाठी (RJ0337), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं -

1. दिनांक 03.05.2019 से 04.05.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 05.05.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 25.05.2019 से 26.05.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री त्रिपाठी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01, भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/41/2000/ 4021

दिनांक : 1.5.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 3248/3244 दिनांक 15.04.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री संजय कुमार त्रिपाठी (RJ0337), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01, भरतपुर ।


1.5.2019
सहायक रजिस्ट्रार